

10. समाज कल्याण के क्षेत्र में :-

- (क) अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन की नीति के अनुसार किसी भी मादक पदार्थों की बिक्री तथा सेवन को नियंत्रित करना;
- (ख) गाँव में भूमि हस्तान्तरण रोकना और अनुसूचित जनजातियों के किसी भी अवैध भूमि हस्तान्तरण को बहाल करने के लिए उचित कार्रवाई करना;
- (ग) किसी भी नाम वाले ग्रामीण मार्केट का प्रबन्धन;
- (घ) अनुसूचित जनजातियों को पैसे उधार देने वालों पर नियंत्रण रखना;
- (ङ) संस्थानों और सभी सामाजिक क्षेत्रों के तंत्रों पर नियंत्रण रखना;
- (च) स्थानीय योजनाओं और ऐसी योजनाओं के संसाधनों पर नियन्त्रण रखना ।

11. गाँव के लघु जलाशयों की योजना और प्रबन्धन ।

12. धारा 34 के तहत अनुदान की शर्तों के अनुसार, भूराजस्व संबंधी किसी विधि द्वारा अथवा के तहत, समय-समय पर निर्धारित तरीकों तथा रूप, जो भी हो, में भू-राजस्व संबंधी अभिलेखों का अनुरक्षण ।

तीसरी अनुसूची (धारा 71 की उप धारा (1) देखें)

ऐसे मामलों के सम्बन्ध में, जिससे द्वीप परिषद प्राधिकृत होगी, ताकि यह स्वायत्त संस्थान के रूप में कार्य करने में सक्षम होगी ।

1. स्वच्छता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में :-

- (क) महामारियों पर नियंत्रण और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और अनुरक्षण;
- (ख) परिवार नियोजन;
- (ग) शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना;
- (घ) औषधालयों, दवाखानों, प्रसूति घरों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का अनुरक्षण;
- (ङ) स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के संरक्षण के लिए निम्नलिखित पद्धतियों पर विचार :-
(i) पोषाहार;